TILKAMANJHI BHAGALPUR UNIVERSITY, BHAGALPUR-812007
तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर–812007
NAAC Accredited 'B' grade with CGPA 2.50 www.tmbuniv.ac.in

पत्रांक DSW/57/2025 दिनांक 08/05/2025

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रधाना प्राचार्या/प्रो० इंचार्ज,
सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय,
तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय,
भागलपुर।

विषय :– स्नातक (सत्र 2025–2029) सेमेस्टर – I में नामांकन के संबंध में

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि स्नातक (सत्र 2025–2029) में नामांकन प्रक्रिया निम्नवत कार्यक्रम-सूचि एवं निर्देशों के अनुसार सम्पन्न किया जायेगा।

1.	आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	09.05.2025
2.	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	22.05.2025
3.	प्रथम मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि	24.05.2025
4.	प्रथम मेधा सूची से नामांकन की समयावधि	25.05.2025 से 05.06.2025
5.	द्वितीय मेधासूची के प्रकाशन की तिथि	09.06.2025
6.	द्वितीय मेधासूची से नामांकन की समयावधि	10.06.2025 से 14.06.2025
7.	तृतीय मेधासूची के प्रकाशन की तिथि	17.06.2025
8.	तृतीय मेधासूची से नामांकन की समयावधि	18.06.2025 से 20.06.2025
9.	ऑन–स्पॉट एवं कोटा सीट पर नामांकन की समयावधि	23.06.2025 से 29.06.2025
10.	वर्गाध्यापन प्रारंभ करने की तिथि	01.07.2025
11.	नामांकन से संबंधित समग्र डेटा (Soft एवं Hard दोनों में) अध्यक्ष, छात्र कल्याण कार्यालय को प्राप्त कराने की तिथि	05.07.2025

नामांकन में निम्न बिन्दुओं का पालन अवश्य करना है।

1. विश्वविद्यालय में UMIS कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया है कि महाविद्यालय अपनी सुविधा एवं उपलब्धता के अनुसार ऑफलाईन/ऑनलाईन मोड में नामांकन प्रक्रिया सम्पन्न करेगां।
2. प्रधानाचार्य/प्रभारी प्राचार्य का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि नामांकन से संबंधित समग्र डेटा Soft एवं Hard Copy दोनों में सुरक्षित एवं संरक्षित रखेंगे और उसकी एक प्रति अध्यक्ष, छात्र कल्याण कार्यालय को भी प्राप्त करा देंगें।
3. राजभवन कार्यालय से निर्धारित शुल्क ही नामांकन के समय लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का शुल्क अभ्यार्थी से नहीं लिया जायेगा। अन्यथा किसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रभारी प्राचार्य पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

Letter No./पत्रांक :..............................   Date/ दिनांक :....................................

4. नामांकन संचालन समिति की बैठक (दिनांक– 29.03.2025) में निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार से क्षतिपूर्ती राशि प्राप्त हो जाने पर **SC/ST** कोटि के सभी विद्यार्थियों एवं अन्य सभी कोटि के सिर्फ छात्राओं का नामांकन के समय शुल्क के रूप में ली गयी राशि संबंधित छात्र–छात्राओं को वापस कर दी जायेगी।
5. राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धता प्राप्त विषयों एवं अनुमोदित सीट–मैट्रीक्स पर ही प्रत्येक महाविद्यालय नामांकन लेगा। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायित्व होगा।
6. नामांकन में बिहार सरकार की अद्यतन आरक्षण नियमावली का अक्षरशः पालन अवश्य सुनिश्चित किया जाए।
7. नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हो।
8. नामांकन में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रो० ईन्चार्ज पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगें।

आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थियों का **NAD** से संबंधित सूचना संकलन हेतु आवश्यक प्रविष्टियों अवश्य प्राप्त करें।

सभी महाविद्यालयों में नामांकन उपर्युक्त दिए गए निर्देशों के तहत सम्पन्न किये जाने का आदेश है।

सूचनार्थ एवं कार्यार्थ

विश्वस्त
07.05.2025
अध्यक्ष, छात्र कल्याण